

Sl. No.	Information sought	Information provided
	<p>क्या 1856-1874 में रजिस्ट्री की गयी। इसके बाद यह कई-कई बार 1874 में 1900 में 1911-1932 में बिक्री होती गयी। इस बिल्डिंग का नंबर 2138, जोकि अब 4621 और 2933 (दो तरफा रास्ता है।) रजिस्ट्री न0 1669, बही न) 1, इस बिल्डिंग के मालिक का कोई पता नहीं है। मेरा सदस्य सचिव जी, यह बिल्डिंग "शाहजहांबाद इवेंड्री ऑफ हेरिटेज' दिल्ली - 110006 आपसे अनुरोध है कि इस बिल्डिंग कि हालत जर्जर हो गयी है, इसको आप अपने कब्जे में लेकर इसे हेरिटेज घोषित कर दें, क्योंकि इसके असली मालिक का कोई पता नहीं है और अन्य लोगों दल्करा अपने नाम से रजिस्ट्री करा ली गयी है और इस बिल्डिंग को 4 मंजिल बना दिखा दिया, जबकि यह आज तक ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर ही है और 4 मंजिल का नक्शा सब-रजिस्ट्रार, कश्मीरी गेट, दिल्ली के कार्यालय में लगा दिया है।</p>	
1.	<p>क्या सदस्य सचिव जी, आप 100 वर्ष पुरानी बिल्डिंग को घोषित करा कर अपने कब्जे में ले सकते हो।</p>	<p>चूंकि मामला एमसीडी से संबंधित है, इसलिए संबंधित स्थानीय निकाय होने के नाते, आरटीआई आवेदन को आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत एमसीडी को हस्तांतरित किया जा रहा है, ताकि इस कार्यालय को सूचित करते हुए आवेदन को सीधे सूचना प्रदान की जा सके।</p>
2.	<p>क्या इस बिल्डिंग के मालिक का पता न होने पर आस उसे अपने कब्जे में ले सकते हैं।</p>	